



Nuetral Citation No. - 2026: AHC:13256-DB

आदेश आरक्षित -08.12.2025

आदेश प्रदत्त - 20.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4693/2023

छुट्टन सोनी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: मनीष कुमार, विनय कुमार पाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: बीना मिश्रा, जी.ए.

चैंबर में:-

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार एवं राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील मामला अपराध संख्या 405/2018 में एस.एस.टी. संख्या 53/2018 (राज्य बनाम छुट्टन सोनी) में विद्वान विशेष न्यायाधीश, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.04.2023 के खिलाफ दायर की गई है, जो मामला अपराध संख्या 405/2018 में धारा 363, 366, 376 (2) (i) आईपीसी और 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और 3(2)5

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, पुलिस स्टेशन कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट, के तहत उत्पन्न हुआ है। जिसके तहत अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी ठहराया जाता है और 5 साल का साधारण कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना की सजा और जुर्माना जमा नहीं होने पर 15 दिनों की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई जाती है; भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा, उक्त राशि के जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास के की सजा काटनी होगी; अपीलकर्ता को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत 20,000/- रुपये की सजा के साथ 10 साल के साधारण कारावास और जुर्माने का भुगतान न करने पर दो महीने के अतिरिक्त कारावास के लिए दोषी ठहराया जाता है; अपीलकर्ता को धारा 3(2)5 एससी/एसटी अधिनियम के तहत 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जुर्माने के अभाव में दो महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाती है। उपरोक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 357 के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार जमा किए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 05.05.2018 को लगभग 07:00 बजे, सूचनादाता की लगभग 16 वर्ष की बेटी स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसकी खोज करने के बाद, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 06.05.2018 को शाम 04:00 बजे पुलिस स्टेशन, कार्बी में दर्ज की गई। इसके बाद, सूचनादाता को पता चला कि उसकी बेटी को छुट्टन सोनी द्वारा बहकाया गया है और इसलिए 19.06.2018 को अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

4. जांच के बाद, पुलिस के जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (i) आईपीसी, पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत आरोप तय किए गए। अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू-1, ज्ञान माटी (सूचनादाता; पी.डब्ल्यू.-2, पीड़ित; पी.डब्ल्यू.-3, विजेंद्र द्विवेदी (जांच अधिकारी); पी.डब्ल्यू.-4,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कृष्ण देव सिंह (एफ.आई.आर. के लेखक); पी.डब्ल्यू.-5, छेदी लाल (जांच अधिकारी); पी.डब्ल्यू.-6, डॉ. श्वेता सिंह और पी.डब्ल्यू.-7, छोटे लाल सिंह का परीक्षण किया।

6. अभियुक्त का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया था और झूठे आरोप लगाए थे।

7. डी.डब्ल्यू.-1, शिव भोला और डी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती कमला से भी अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।

8. पी.डब्ल्यू.-1 ने एफआईआर के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले को साबित किया और स्वीकार किया कि घटना की अगली तारीख यानी 06.05.2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसने घटना के 10-15 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज कराई। घटना के डेढ़ महीने बाद उसकी बेटी को पुलिस ने बरामद कर लिया।

9. पी.डब्ल्यू.-2, पीड़िता ने कहा कि 05.05.2018 को वह कक्षा-12वीं में पढ़ रही थी और स्कूल खत्म होने के बाद, वह दोपहर 12:01 बजे दुकान से कॉफी-बुक खरीद रही थी, जब अपीलकर्ता ने उसे बहकाया और सूरत ले गया। उसने एक कमरा किराए पर लिया और उसे एक महीने तक रखा। वह दिन में अपने काम पर जाता था और रात में लौटने के बाद कभी-कभी उसके खिलाफ बलात्कार का अपराध करता था। वह सूरत से भागकर ट्रेन से कार्बी आई और जब वह बस स्टैंड पर गई तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वह डेढ़ महीने बाद कार्बी लौट आई। इसके बाद, उसकी मेडिकल जांच की गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया।

10. पी.डब्ल्यू.-3, पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-5 औपचारिक गवाह हैं।

11. पी.डब्ल्यू.-6, डॉ. श्वेता सिंह ने पीड़िता की दवा जांच की, लेकिन उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का चोट नहीं मिला। उसने अपने बयान में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई है।

12. ज्ञान भारती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पी.डब्ल्यू.-7 ने साबित किया कि वह अपने स्कूल का हाई स्कूल प्रमाण पत्र और एसआर रजिस्टर लेकर आया है, जहां पी.डब्ल्यू.-2 की जन्म तिथि 10.02.2002 प्रतीत होती है। उसने वर्ष 2017 में हाई स्कूल पास किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. डी.डब्ल्यू.-1 और डी.डब्ल्यू.-2 ने साबित किया कि पीड़िता का घर उनके घर के करीब है और घटना की तारीख पर, अपीलकर्ता अपने घर पर था, जबकि पीड़िता अपना घर छोड़ चुकी थी और इस तथ्य को इलाके के लोगों को पता था। डी.डब्ल्यू.-2, श्रीमती कमला, अपीलकर्ता की पत्नी हैं।

14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड की सामग्री और विचारण न्यायालय के फैसले के अवलोकन के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है और डी.डब्ल्यू.-2 उसकी पत्नी है। पीड़िता के हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार, उसकी उम्र करीब 17 साल थी। इस मामले में पीड़िता का ऑसिफिकेशन टेस्ट तब नहीं कराया गया जब उसने दावा किया था कि घटना के समय वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पीड़िता के कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा साबित किए गए हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर विचारण न्यायालय द्वारा उसकी जन्मतिथि के सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष कोई सबूत नहीं था जो यह साबित करता हो कि हाई स्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि कक्षा-1 से कक्षा -8 वीं के किसी भी अंतर्निहित दस्तावेज द्वारा समर्थित है। केवल हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर और पिछली कक्षाओं में दर्ज उसकी जन्मतिथि के किसी भी सबूत के बिना, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को वास्तविक नहीं माना जा सकता है, जैसा कि **संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एआईआर 2019 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय** ने धारित किया है। इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि कथित अपराध के समय पीड़ित नाबालिग था। दोनों विचार संभव हैं और उसका एक वयस्क होना, अपीलकर्ता के पक्ष में होना स्वीकार किया जाता है।

15. इस मामले में विचार का अगला बिंदु यह है कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए अपने बयान में अपीलकर्ता के खिलाफ अपहरण या बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया था। अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसने अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा किए गए दबाव के कारण अपीलकर्ता के पक्ष में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिया, जो उससे पुलिस स्टेशन में मिली थी। अपना बयान दर्ज करते समय, उसने अपनी उम्र 17-18 वर्ष होने का दावा किया था।

16. हम आगे पाते हैं कि पीड़ित 05.05.2018 को कर्बी से ले जाया गया है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा अपीलकर्ता के साथ सूरत गया है। किसी भी समय उसने कोई आवाज नहीं उठाया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या जनता से मदद के लिए नहीं रोया। वह लगभग डेढ़ महीने तक अपीलकर्ता के साथ किराए के कमरे में रही और उसके बाद कार्बी वापस चली गई। उसके सभी आचरण से पता चलता है कि वह बिना किसी विरोध के स्कूल जाने के बाद स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ बाजार से सूरत चली गई थी। वह अपने माता-पिता से टेलीफोन पर या किसी अन्य तरीके से संपर्क करने की कोशिश किए बिना लगभग डेढ़ महीने तक उसके साथ रही। वह जानती थी कि अपीलकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है और विचारण न्यायालय के समक्ष यह साबित नहीं हुआ था कि वह घटना के समय नाबालिग थी जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

17. उसने अपीलकर्ता द्वारा उसके खिलाफ जबरन बलात्कार करने का कोई आरोप भी नहीं लगाया है। उसने केवल यह कहा है कि अपीलकर्ता कभी-कभी अपनी नौकरी से लौटने के बाद रात में उसके खिलाफ बलात्कार का अपराध करता था। स्पष्ट रूप से, पीड़िता को यह महसूस करने के बाद कि उसने एक विवाहित व्यक्ति के साथ अपने घर से भागने में गलत किया है, ट्रेन से अपने स्थान पर लौट आया, उसे बस स्टैंड पर पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए, **एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, 1964 के मुकदमे (एससी) 209** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध भी नहीं बनता है। इसी तरह, आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह जानने के बावजूद कि अपीलकर्ता शादीशुदा था, पीड़ित उसके साथ सूरत गया और बिना किसी विरोध के उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए। यह उसका मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था और इस कारण से उसका अपहरण कर लिया गया था।

18. एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपीलकर्ता की सजा **दिनेश बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य, 2006 के मुकदमे (एससी) 162** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कायम नहीं रखी जा सकती है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि पीड़िता के खिलाफ बलात्कार केवल इसलिए किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत आवेदन निम्नानुसार आकर्षित किया जा सकता है:

"इस मोड़ पर अत्याचार अधिनियम की धारा 3 पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में प्रावधान है, इस अधिनियम को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। अत्याचार अधिनियम की धारा 2 में 'अत्याचार' अभिव्यक्ति को धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त प्रावधान अब तक प्रासंगिक है: "3 (2) (v): अत्याचार के अपराधों के लिए दंड (2) जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, -xxx xxx xx(v) भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध करता है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित का सदस्य है जनजाति या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगी।

धारा 3 (2) (v) के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर अपराध किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। वर्तमान मामले में इस आवश्यकता को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी। इस आशय के साक्ष्य के अभाव में, धारा 3(2)(v) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अगर अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) लागू होती तो कानून के संचालन से सजा आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा होती।

19. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि आईपीसी की धारा 363 और 366, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने का निर्देश दिया जाता है और पीड़ित को देय 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, उसे छह महीने के सरल कारावास से गुजरना होगा। अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही भुगती सजा की अवधि को समायोजित किया जाएगा।

20. अपील आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के अभिलेख को विचारण न्यायालय को भेजने और इस इस निर्णय को विचारण न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

20 जनवरी, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-आई) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।